संख्या-45 /2018/920/96-आयुष-2-2018-24(बी0)/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1072/बजट/2017-18/2101, दिनॉक 09-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ की पुनरीक्षित लगात रू0 1818.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-907/71-4-20-09-8/96, दिनॉक 31-3-2009 द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रायोजना की लागत पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 2343.23 लाख की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहबाद-24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा एवं अनुदान संख्या-34 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल-24 वृहद निर्माण कार्य के मानक मदों में उपलब्ध बचतो से वहन किया जायेगा।

3- उक्त पुनर्विनियोग के माध्यम से राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1251.09 मे से रू0 429.00 लाख (रूपया चार करोड़ उन्तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालनसुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित करके कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी/0ए0एल0 बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वित्त-ई-3-1080/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-45/2018/920(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5- प्राचार्य, रा0ने0हो0 मेडिकल कालेज, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in